

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज  <b>राजेश रालिया</b>  <b>बनाम</b>  <b>लोक सूचना अधिकारी, (उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर)</b>  सू.अ.अपील संख्या-ऑनलाईन अपील संख्या 353879552163877</p>	<p>न व तारीख  अहकाम जो  इस हुकम की  तामील में  जारी हुए</p>
<p>25 / 07 / 25</p>	<p>अपीलार्थी राजेश रालिया निवासी खारिया खंगार तहसील पीपाड़ शहर, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिनांक 27.06.2025 को खसरा संख्या 79, ग्राम खारिया खंगार, तहसील पीपाड़ सिटी से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं की सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील में रेषपो. पक्ष लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर) को नियत सुनवाई तिथि को आवश्यक दस्तावेज सहित (तथ्यात्मक) उपस्थित होने एवं अपीलार्थी को सुनवाई तिथि हेतु आरटीआई पोर्टल के माध्यम से नोटिस जारी किया गया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। नियत सुनवाई तिथि पर रेषपो. पक्ष अनुपस्थित एवं अपीलार्थी अनुपस्थित। रेषपो. पक्ष लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(गौरव अग्रवाल)  जिला कलेक्टर, जोधपुर</p>	

**Signature valid**

Digitally signed by Gaurav Agrawal  
Designation: Collector & District  
Magistrate  
Date: 2025.07.25 16:35:29 IST  
Reason: Approved